कार्यालय अपर उप जिला मजिस्ट्रेट/नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र, बस्ती।

पत्रांक / /2013 /दिनॉकः– 2013

अल्पकालिक निविदा सूचना।

जिलाधिकारी महोदय, के आदेश दिनॉक 11.07.2013 के अन्तर्गत विनियमित क्षेत्र बस्ती के नगर पालिका परिषद बस्ती की सीमान्तर्गत गौरीदत्त धर्मशाला रोड पर अरिस्टो टेलर के सामने से पाठक जी की कोठी मुख्य मार्ग तक लगभग–120 मीटर सी0सी0 रोड निर्माण नाली मरम्मत कार्य हेतु जनपद–बस्ती को पंजीकृत एवं अनुभवी ठेकेदार से कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र दिनॉक 19.08.2013 तक किसी कार्य दिवस में विनियमित क्षेत्र बस्ती के कार्यालय से निर्धारित धनराशि विनियमित क्षेत्र बस्ती के शहरी क्षेत्र के विकास शुल्क खाता संख्या–11192345262 में जमा कर प्राप्त किया जा सकता है। निविदा प्रपत्र पूर्ण रूप से भरे हुए फर्म में दिनॉक 19.08.2013 को समय 1.30 अपरान्ह से 2.30 अपरान्ह तक डाला जा सकता है, जो उसी दिन समय 3.30 अपरान्ह को खोला जायेगा। निविदा खुलते समय निविदादाता स्वयं अथवा उसके एक प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	अनुमानित लागत लाख में	धरोहर धनराशि लाख में	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्य पूर्ण करने का अवधि	ठेकेदार की श्रेणी
1	गौरीदत्त धर्मशाला रोड पर अरिस्टो टेलर के सामने से पाठक जी की कोठी मुख्य मार्ग तक सी0सी0 रोड निर्माण व नाली मरम्मत निर्माण कार्य।	17.18 लाख	1.71	एक हजार मात्र	छः माह	ए0बी0सी0

निविदा की शर्ते निम्नवत् होगी।

1– निविदा लेने वाले ठेकेदार को जनपद–बस्ती के किसी तकनीकी विभाग में ठेकेदार के रूप में पंजीकृत टी–4 एवं टी–5 का अनिवार्य है।

2– धरोहर धनराशि एक वर्ष के लिए फिक्साडिपाजिट या एन0एस0सी0 नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र बस्ती के पक्ष में बन्धक होगी, नियत प्राधिकारी के आदेश से वापस होगा।

3– कार्य की मात्रा आवश्यकतानुसार बढ़ाई/घटाई जा सकती है।

4– किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार चयन समिति व नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र बस्ती को सुरक्षित होगा।

5– निर्धारित अवधि एवं मानक के अनुसार कार्य करने पर निविदा किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है।

6– निविदा से सम्बन्धित किसी प्रकार के विवाद का निपटारा न्यायालय क्षेत्र बस्ती ही होगा।

अपर उप जिला मजिस्ट्रेट/नियत प्राधिकारी,
विनियमित क्षेत्र–बस्ती।

3425(5) 22-7-2013

पत्रांक / /2013 /दिनॉक 2013

प्रतिलिपिः–

1– निदेशक, सूचना विभाग, सूचना निदेशालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस आशय से कि जिलाधिकारी महोदय ने अपने आदेश दिनॉक 11.07.2013 के द्वारा दो समाचार–पत्रों में दैनिक सहारा एवं हिन्दुस्तान में प्रकाशित किये जाने के निर्देश दिये गये है, परन्तु जनपद–बस्ती से प्रकाशित दैनिक प्रकाश टाइम्स में दिनॉक 18.07.2013 को निविदा आमंत्रित किये जाने हेतु दिनॉक 04.07.2013 को प्रकाशित किया जा चुका है। तिथि को संशोधित निविदा दिनॉक 19.08.2013 नियत किया गया है, एक दैनिक समाचार–पत्र दैनिक सहारा, अथवा हिन्दुस्तान ~~प्रकाश~~ टाइम्स में प्रकाशित करने का कष्ट करें।

2– जिलाधिकारी महोदय, बस्ती को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

3– जिला सूचना अधिकारी, बस्ती को सूचनार्थ।

4– प्रकाशक दैनिक प्रकाश टाइम्स बस्ती को जिलाधिकारी महोदय के आदेश दिनॉक 11.07.2013 के तिथि को संशोधित कर दिया गया है, अब दिनॉक 18.07.2013 के स्थान पर दिनॉक 19.08.2013 निविदा आमंत्रित की जायेगी, प्रकाशन कराने का कष्ट करें।

5– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, (एन0आई0सी0) बस्ती को इस आशय से कि कृपया इसे बेबसाइड पर डालने का कष्ट करें।